कमला बनाम हनुमंत प्रसाद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	आज दिनांक 16/10/25 को जिला/रा... बार एसोसिएशन ने आज कार्य स्थगित रखा गया है। पत्रावली पूर्ववत कार्यवाही की पालना में दिनाक 18.12.25 को पेश हो। आदेशानुसार न्यायालय पेशकार (रीडर) सहायक कलक्टर(मु.) अजमेर	
18/12/25	वकील प्रार्थी/पैरोकार सरकार उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के नाम नोटिस अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की तामील [illegible] की पत्रावली पर पूर्व में प्रस्तुत की हुई है व अनुपस्थित [illegible] अप्रार्थी सं. 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस T.I प्रा० पत्र दिनांक 15/1/26 को पेश हो। सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर	
15/1/26	वकील प्रार्थी/पैरोकार सरकार उपस्थित। उनके अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र पर सुना जाकर आदेश सुनाया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र निरस्त किया जाता है। विस्तृत आदेश अलग से लिखा। जाकर शा० कि० किया गया। पत्रावली फैसलशुदा होकर नंबर से कम हो एवं [illegible] हो। सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर	

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर

पीठासीन अधिकारी – रतन कौर, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 82/2024

श्रीमति कमला पत्नि श्री गिरधारी सिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम लोहागल, तहसील व जिला अजमेर

.....प्रार्थिया

बनाम

1– हनुमंत प्राईम कस्ट्रक्शन एल.एल.पी. जरिये डायरेक्टर निर्मल टांक पुत्र श्री सन्तोष टांक, प्लॉट नंबर 958, क्वीन मेरी गर्ल्स स्कूल, बी0के0 कोल नगर, कोटड़ा, अजमेर
2– राज. सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर।
3– उप पंजीयक, अजमेर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री राजेन्द्रसिंह रावत, वकील प्रार्थिया की ओर से।

आदेश

दिनांक – 15.01.2026

1. प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इसी उनवान वाद के साथ प्रस्तुत किया है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या 1 की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की आराजीयत ग्राम लोहागल, तहसील अजमेर में स्थित है। जिसके वर्तमान में नया खाता संख्या 194 पुराना 194 खसरा संख्या 910 रकबा 0.1800 हैक्टर किस्म बारानी 3 है, जिसके दक्षिण खसरा संख्या 881, 882 है जिसमें प्रार्थिया का 13/60 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 का 47/60 हिस्सा है। राजस्व अभिलेख वर्तमान जमाबन्दी में वादग्रस्त आराजी में प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या 1 के नाम संयुक्त खातेदारी दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है और अपने हिस्से से ज्यादा जमीन पर जबरन अवैध निर्माण कर लिया व काश्त करने को लेकर आये दिन लड़ाई झगड़ा करते हैं तथा प्रार्थिया के द्वारा विभाजन करने का अनुरोध करने पर मना कर रहे हैं। इस कारण विवश होकर प्रार्थिया ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थिया का 13/60 हिस्सा का वाद स्वीकार करते हुए मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर सम्पूर्ण आराजी का विभाजन किये जाने के लिये राजस्व अभिलेख में अलग से खाता कायम किया जाकर नक्शा ट्रेस में विभाजन अनुसार अंकन किया जाने व मिन नम्बर किये जाने हेतु इसी उनवान वाद प्रस्तुत किया। प्रार्थिया अपना हिस्सा 13/60 का विधिवत विभाजन करवाकर खाता विभाजन व नक्शे में तरमीम करवा अपने हिस्से को अपनी इच्छानुसार काबिज काश्त व उपयोग उपभोग करना चाहती है। अप्रार्थी गैर

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

कानूनी रूप से विवादित आराजी का विभाजन हुए बिना ही अन्य बेचान कर देने के कारण प्रार्थिया को जबरन उसके हिस्से से बेदखल कर देंगे जिसका कि उन्हे कोई विधिक अधिकार नहीं है और अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य से प्रार्थिया को अनावश्यक रूप से मुकदमे बाजी में उलझना पड़ेगा व अपने मालिकाना हक व अधिकार से भी वंचित होना पड़ेगा जिसमें प्रार्थिया को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में किया जाना संभव नहीं होगा। प्रार्थिया वादग्रस्त संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि आराजी पर आज भी मालिक काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रही है। अतः प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थिया के हक में है। प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र पेश कर वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थिया के कब्जे काश्त में दखलंदाजी व मदाखलत उत्पन्न करने, बेदखली का नाजायत प्रयास करने तथा रहन, बेचान व मुंतकिल करने अर्थात मौके एवं रिकार्ड में किसी प्रकार से परिवर्तन करने से अप्रार्थीगण एवं उनके नौकर, एजेन्ट, रिश्तेदार, मित्रगण इत्यादी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक पाबन्द किये जाने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी नोटिस पर मकान बेचकर अन्य स्थान पर चले जाने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रार्थिया के निवेदन पर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम नोटिस समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया गया किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 के नाम नोटिस बावजूद अखबार साया अप्रार्थी संख्या 1 के अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।
3. हमने विद्वान वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी। पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का तथा विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी अंतिम चौसाला आधारा सम्वत 2072–2075 पेश की है। जिसमें ग्राम लोहागत के वर्तमान खसरा संख्या 910 रकबा 0.1800 हैक्टर जिसके वर्किंग खसरा संख्या 881, 882 में प्रार्थिया का 13/60 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 का 47/60 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि वर्तमान में संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। जिसका विधिक रूप से बंटवारा नहीं हो रखा है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार उक्त वर्णित विवादित आराजी में प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या 1 संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार है। प्रार्थिया के अनुसार संयुक्त खातेदारी होने से अप्रार्थी संख्या 1 काश्त करने को लेकर आये दिन लडाई झगड़ा करते हैं। अप्रार्थी संख्या 1 आराजी को खुर्द बुर्द करने करने पर आमादा है व अपने हिस्से से अधिक भूमि पर जबरन अवैध निर्माण कर लिया है तथा उपयोग उपभोग करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे निजात पाने के लिये प्रार्थिया द्वारा विभाजन करने का अनुरोध करने पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा इन्कार करने पर मजबूरन बंटवारे का वाद न्यायालय में प्रस्तुत करना बताया है। उक्त वाद के निर्णय तक अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थिया के हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि में दखलन्दाजी एवं मौके

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

की स्थिति में परिवर्तन करते है तो प्रार्थिया को अपार क्षति होगी तथा उसकी पूर्ति निकट भविष्य में प्रार्थिया द्वारा करना संभव नहीं है। प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार भी प्रार्थिया एवं अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि में संयुक्त रूप से खातेदार दर्ज है। विधि के प्रतिपादित प्रावधानों के तहत संयुक्त खातेदार को अपने सह खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकार नहीं है। संयुक्त खातेदारी में प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक हिस्से पर अधिकार होता है। इसी प्रकार प्रत्येक खातेदार को अपने हक हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने का कानूनन अधिकार है। प्रार्थिया विवादित आराजी में रिकॉर्डेड खातेदार है तथा खातेदारी में प्रार्थिया का हक हिस्सा निर्धारित है। जिसका विधिवत बंटवारा करवाने हेतु प्रार्थिया ने पृथक से न्यायालय में वाद पेश कर रखा है। जिसे प्रार्थिया साक्ष्य सबूतों के आधार पर सिद्ध करे। अप्रार्थी संख्या 1 भी उक्त आराजी में रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है व उनका हक हिस्सा भी निर्धारित है। प्रार्थिया अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थी संख्या 1 को उनके हक हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित करने की अधिकारी नहीं है। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिये प्रार्थिया को तीन बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति को सिद्ध करना आवश्यक था। विवादित आराजी प्रार्थिया एवं अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है तथा प्रत्येक का राजस्व रिकार्ड में हक हिस्सा अंकित है, जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या 1 अपनी सुविधा के अनुसार मौके पर करते आ रहे हैं। जिससे प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थिया के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थिया स्वयं ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थिया वादग्रस्त आराजी में स्वयं के 13/60 हिस्से की आराजी का उपयोग उपभोग कर रही हैं। जब प्रार्थिया 13/60 हिस्से की रिकॉर्डेड खातेदार है एवं मौके पर उपयोग उपभोग करती आ रही है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थिया को किस प्रकार हो रही है, यह साबित करने में असफल रही हैं, जिससे अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थिया के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होता है एवं प्रार्थिया का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 15.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) अजमेर

(रत्न कौर)
सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर
सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर